

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवीलाल भील निवासी गांव सीमाल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 57 / 2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 18.09.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्त हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ.1()सू0अ0,05 / 2023 / 653 दिनांक 04.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत कार्यालय को दिनांक 28.06.2023 को प्राप्त हुआ। आरटीआई आवेदन में इप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उसका संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर तहसील कार्यालय आमेट जिला राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 476-477 दिनांक 30.06.2023 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गयी। कार्यालय उपतहसीलदार सरदारगढ़ जिला राजसमन्द के पत्रांक 130-132 दिनांक 03.08.2023 से प्रार्थी को उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है। अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक 18.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रति उत्तर कलमबद्ध करने के संबंध में पेश किया। जो शामिल पत्रावली हैं।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार सरदारगढ़ जिला राजसमन्द के पत्रांक 130-132 दिनांक 03.08.2023 से अपीलार्थी को उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा उप तहसीलदार सरदारगढ़ को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद